

नंगा ०-४५३४ / २०१८/रीवा / भूका० १

न्यायालय श्रीमान् अदालत महोदय, जिला
रीवा म०प्र०



अंजू कछवाहा पति श्री रितेश कछवाहा उम्र 34 वर्ष, पेशा घर्सकार्य, निवासी
मकान नं०-३० वार्ड क०-०४ गोविन्दगढ़, तहसील हुजूर, जिला रीवा म०प्र०

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदिका

बनाम

कौशल सेन तनय नामालूम उम्र लगभग 50 वर्ष पेशा नाई की दुकान, नगर
परिषद के बगल में गोविन्दगढ़, तहसील हुजूर, जिला रीवा म०प्र०

गैरपुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक

पुनरीक्षण न्यायालय श्रीमान नायब
तहसीलदार महोदय, वृत्त गोविन्दगढ़,
तहसील हुजूर, जिला रीवा म०प्र० के
द्वारा मुख्य नगर पालिक अधिकारी
गोविन्दगढ़ की ओर मूलतः प्रेषित (हल्का
पटवारी गोविन्दगढ़, तहसील हुजूर,
जिला रीवा म०प्र० का सीमाज्ञात किये
जाने का प्रतिवेदन दिनांक 09.12.2014
के तारतम्य में) पत्र दिनांक 11.12.2014
के विरुद्ध

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू
राजस्व संहिता 1968

मान्यवर्

पुनरीक्षण के तथ्य निम्न हैं :-

- 1- यहकि निगरानीकर्ता के पिता स्व० नारायण प्रसाद तनय श्री
जागेश्वर प्रसाद कछवाहा गोविन्दगढ़ के वार्ड क०-०४ मकान
नं०-३०, भूमि खसरा क०-९४१, ९४२, ९४३, के पुश्तैनी भूमिस्वामी थे,
जिनका स्वर्गवास दिनांक 07.12.2017 को हो गया है, जिसका

निर्णय अदालत द्वारा

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... R.4534/रीवा/18..... जिला..... श्रीगंगा

..... श्रीमती अंजु श्री श्रीवाल्मीकी विरुद्ध बांशल ईन

1	2	3
15/09/2018	<p>1. आवेदक की ओर से श्री..... श्रीतान्त्रिष्ठ वाणीय अधिवक्ता द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील..... हुजूर, श्रीतान्त्रिष्ठ के प्रकरण क्रमांक..... नमूना लरमीम..... में पारित आदेश दिनांक..... 09/12/14..... के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू- राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर..... श्रीगंगा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 20/03/19..... को कलेक्टर..... श्रीगंगा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	